लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462023

क्रमांक / अति.शि. / 2025–26 / 320 भोपाल, दिनांक– 19-11-2025

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले मध्यप्रदेश

विषयः–अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय जनरेट कर भुगतान करने के संबंध में।
संदर्भः–लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र / 309 भोपाल दिनांक 07.11.2025।

––00––

उक्त विषयांतर्गत सत्र 2024–25 एवं सत्र 2025–26 में ऑनालाईन ज्वाईन अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में संचालनालय स्तर से आवंटन जारी कर अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये थे। कतिपय जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन तथा अन्य माध्यमों से मानदेय भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत की गई है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है, कि पात्रता अनुसार अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान किये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही कर, सी.एम. हेल्पलाईन का निराकरण करें। यदि बिना किसी कारण पात्रता होने पर भी, अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें। दिनांक 24.11.2025 को आयोजित होने वाली वी. सी. में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध [एवं] चर्चा की जावेगी।

(के.के. द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / अति.शि. / 2025–26 / 321 भोपाल, दिनांक– 19-11-2025

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. संकुल प्राचार्य समस्त हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश